लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 576

उत्तर देने की तारीखः 25.06.2019

ट्रांसजेंडरों का उत्थान

576. **श्री हिबी इडनः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में ट्रांसजेंडर कई सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा ट्रांसजेंडरों के उत्थान और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ट्रांसजेंडरों के आरंभिक व्यापार हेतु कोई विशेष योजना/ऋण प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ङ): ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष पेश आ रही समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने तथा उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने हेतु मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 27 जनवरी, 2014 को प्रस्तुत की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह अभ्युक्ति की कि ट्रांसजेंडर समुदाय अत्यंत अलग-थलग समुदाय है और वे मानव विकास के पायदान पर बहुत ही पिछड़े हुए हैं, विशेषतः शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण करने और उनका कल्याण करने की दृष्टि से, इस मंत्रालय ने लोक सभा में "उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016" नामक एक विधेयक लोक सभा में 02.08.2016 को पुरःस्थापित किया, इस विधेयक को लोक सभा द्वारा 17.12.2018 को पारित किया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) को 1.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

*****